संख्या-12/2020/283/12-5-2020-सा०-233/2017

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 16 मार्च, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना में धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-गु०नि०/547/पुनर्विनियोग/2019-20, दिनांक 20.02.2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 09-विद्युत व्यय में रू० 0.68 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू० 0.90 लाख एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में रू० 0.01 लाख अर्थात् कुल रू० 1.59 लाख (रू० एक लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 43-सामग्री सम्पूर्ति में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 09-विद्युत व्यय, 49-चिकित्सा व्यय एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-12/2020/283(1)/12-5-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भॉति देख लिया जाय)

वित्तीय वर्ष 2019–20

अनुदान संख्या व नाम–11 कृषि विभाग

प्रपत्र–बी0एम0–9

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 105 03 00 2401–फसल कृषि कर्म, 00–105–खाद तथा उर्वरक 03–उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं 01–वेतन	98.00	2.20	2.20		
2415 01 004 03 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 01–फसल कृषि कर्म 004–अनुसंधान 03–उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना					
01–वेतन	32.50	5.50	5.50		
03–महगाई भत्ता	4.88	0.80	0.80		
13–टेलीफोन व्यय	1.00	0.92	0.92		
43–सामग्री सम्पूर्ति	12.00	1.80	1.80	1.59	
55–मकान किराया भत्ता	3.25	1.50	1.50		
योग	**151.63**	**12.72**	**12.72**	**1.59**	
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (2–5)
7	8	9	10	11	12
2401 00 105 03 00 2401–फसल कृषि कर्म, 00–105–खाद तथा उर्वरक 03–उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं					
09–विद्युत व्यय	9.50	10.18	0.68	0.68	
17–किराया उपशुल्क	4.25	13.58	9.33		
29–अनुरक्षण	5.00	6.80	1.80		
49–चिकित्सा व्यय	3.50	4.40	0.90	0.90	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2415 01 004 03 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 01–फसल कृषि कर्म 004–अनुसंधान 03–उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना 52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	2.88	2.89	0.01	0.01	
योग	**25.13**	**37.85**	**12.72**	**1.59**	

(रू. एक लाख उनसठ हजार मात्र)

(1) स्तम्भ–2 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 3 हमें अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है–
01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता में बचत उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं लखनऊ (आलमबाग, रहमानखेड़ा), वाराणसी एवं मेरठ में कार्मिकों के पद रिक्त होने के कारण तथा टेलीफोन व्यय एवं सामग्री सम्पूर्ति मद में प्राविधान के सापेक्ष आवश्यकता कम होने के कारण।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–
09–विद्युत व्यय, 17–किराया उपशुल्क, 49–चिकित्सा व्यय, 29–अनुरक्षण एवं 52–पुनरीक्षित वेतन एरियर में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधान के सापेक्ष आवश्यकता अधिक होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपयुर्क्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–492/ई–1–191–दस–2020, दिनांक 05–03–2020

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

(नीलेश कुमार सिंह)
उप सचिव
वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 283 /12–5–2020–सा–233/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3– महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1।
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।